



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

दूरभाष क्र. 07782-222414, फैक्स- 07782-226820

E-mail : dfo-jagdulpur.cg.@gov.in

क्र./क.त.अ./ 705
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 18/06/2020

मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

विषय :- Diversion of forest Land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980
Proposed for Bharat Net phase-II bastar division " Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32466 k.m. the laying of Optical Fiber cable of 32466 k.m. will involve 26 districts across the state, area 8.346 ha.- regarding.
पंजीयन क्रमांक / FP/CG/OF/42567/2019

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.- 115 -718/3134 रायपुर दिनांक 17.12.2019।
2. आपका कार्या. पत्र क्रमांक/1805 दिनांक 16.04.2020।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि बस्तर वनमण्डल के अंतर्गत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 8.346 हे. वनभूमि/राजस्व वनभूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/397 दिनांक 19.03.2020 द्वारा प्रेषित किया गया था। जिसे आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव का ऑन लाईन प्रविष्टि हेतु मूलतः वापस प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव ऑन लाईन प्रविष्टि कर प्रस्ताव 3 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है। चेकलिस्ट का बिंदुवार विवरण निम्नानुसार है:-

- आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 01 से 15 तक)**
आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमण्डल के अंतर्गत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 8.346 हे. वनभूमि/राजस्व वनभूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव, वन संरक्षण अधिनियम 1980, अन्तर्गत प्राप्त हुआ है।
- रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एकनालेजमेंट (पं.क्र./FP/CG/OF/42567/2019) (प्रस्ताव पृष्ठ - 16)**
आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क रु. 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 18000/- कुल 24,000/- जमा किया गया है, जिसे कोषालय में चालान नम्बर - 13 दिनांक 28.01.2020 द्वारा पी.डी.खाता में जमा किया गया है।
- वन क्षेत्र विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ - 17 से 35 तक)**
व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र संरक्षित वन- 3.704 हे. , आरक्षित वन-2.168 हे. एवं राजस्व वन -2.474 हे. कुल 8.346 हे. है।
- गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ - 36 से 40 तक)**
विवरण संलग्न है।

कमश:

5. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपो शीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ- 41 से 59 तक)
वन प्रबंध सूचना प्रणाली रायपुर से प्राप्त टोपो शीट वन प्रकार मानचित्र एवं वन आवरण मानचित्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ- 60 से 79 तक)
वन प्रबंध सूचना प्रणाली रायपुर से प्राप्त सनिधि मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है।
7. प्रपत्र- 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ - 80 से 88 तक)
प्रस्ताव में Form for seeking prior approval under section 2 of the proposal by the State Governments and other authorities: विवरण संलग्न है।
8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ - 89 से 91 तक)
प्रोजेक्ट का विस्तृत टीप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
9. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 92)
प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
10. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/ जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ - 93)
अधिनियम अंतर्गत उल्लंघन नहीं किया गया है एवं किसी भी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।
11. वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ -94 से 118 तक)
वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
12. ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 119 से 120 तक)
ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे हैं। संग्रहाध्यक्ष, जिला पुरातत्व संग्रहालय, जगदलपुर का प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 121 से 124 तक)
भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क./F.No.11-09/98-FC (pt) दिनांक 28.10.2014 के अनुसार मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
14. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ - 125)
बस्तर जिले के वनमण्डल अंतर्गत कुल वन भूमि 2211.807 वर्ग कि.मी. है।
15. व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि रकबा हे.में. (प्रस्ताव पृष्ठ - 126 से 127 तक)
बस्तर वन मण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 25 स्वीकृत प्रकरणों में रकबा 963.765 हे. वनभूमि प्रभावित हुआ है।
16. व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि रकबा हे.में (प्रस्ताव पृष्ठ - 128)
बस्तर वनमण्डल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत इसी कटेगरी के 4 प्रकरण रकबा 3.408 वनभूमि में प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृत है।
17. प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ - 129)
ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के वन प्रबंधन सूचना प्रणाली मण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र के आधार पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के कुछ भाग 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत आता है। अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।

कमश:

18. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 130 से 131 तक)
प्रस्तावित वनभूमि पर कोई व्यक्ति/परिवार को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण नहीं दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।
19. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 132 से 144 तक)
प्रमाण पत्र संलग्न है।
20. पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ - 145)
आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क रु. 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 18000/- कुल 24,000/- जमा किया गया है, जिसे कोषालय में चालान नम्बर - 13 दिनांक 28.01.2020 द्वारा पी.डी.खाता में जमा किया गया है।
21. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ - 146 से 203 तक)
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से OFC लाईन नहीं गुजर रही है।
22. प्रत्येक OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 161 से 182 तक)।
23. प्रत्येक OFC लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 17 से 35 तक)।
24. DGPS रिपोर्ट KML फाईल संलग्न (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 148 से 203 तक)।
संलग्न :- प्रस्ताव 3 प्रतियों में।

पृ.क्रमांक/क.त.अ./ 706
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वास्ते-संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मंडलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर
जगदलपुर, दिनांक 18/06/2020

वन मंडलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर